संख्या-1/2023/001-1145/60-1-2022

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,

अनु सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 16 जनवरी, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान संख्या-49 के राजस्व मद में सी0पी0एस0 योजना हेतु वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-465-66/निदे0म0क0/लेखा-बजट/वि0स्वी0/2022-23, दिनांक 12.12.2022 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान सं0-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत कतिपय योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रू0 18813.44 लाख (रूपये एक अरब अठ्ठासी करोड तेरह लाख चौवालीस हजार मात्र) के सापेक्ष केवल तृतीय त्रैमास के व्ययों हेतु रू0 5634.01 लाख (रूपये छप्पंन करोड़ चौंतीस लाख एक हजार मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का निवर्तन निम्न शर्तोंध्प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 एवं शासनादेश दिनांक 08.11.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021020135 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

क्र0 सं0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	11,46,09,000 (रुपये ग्यारह करोड़ छियालीस लाख नौ हजार पांच सौ मात्र)
2	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	4,22,18,000 (रुपये चार करोड़ बाईस लाख अठारह हजार पांच सौ मात्र)
3	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	06 अन्य भत्ते	5,01,000 (रुपये पांच लाख एक हजार मात्र)
4	049	2235021020135 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	80,83,000 (रुपये अस्सी लाख तिरासी हजार मात्र)
	कुल			**16,54,11,000 (रुपये सोलह करोड़ चौवन लाख ग्यारह हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2235021020137 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	01 वेतन	1,54,02,000 (रुपये एक करोड़ चौवन लाख दो हजार मात्र)
2	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	03 मंहगाई भत्ता	56,85,000 (रुपये छप्पन लाख पचासी हजार मात्र)
3	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
4	049	2235021020137 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना योजनान्तर्गत वेतन का भुगतान	55 मकान किराया भत्ता	16,11,000 (रुपये सोलह लाख ग्यारह हजार मात्र)
	कुल			**2,31,98,000** **(रुपये दो करोड़ इकतीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028906 (बाल कल्याण समिति)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	07 मानदेय	4,38,75,000 (रुपये चार करोड़ अड़तीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)
2	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	97,50,000 (रुपये सत्तानवे लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**5,36,25,000** **(रुपये पांच करोड़ छत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028910 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट)

क्र0 सं0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	33,00,000 (रुपये तैंतीस लाख मात्र)
2	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
3	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	94,50,000 (रुपये चौरानवे लाख पचास हजार मात्र)
4	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	39 औषधि तथा रसायन	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
5	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	41 भोजन व्यय	36,00,000 (रुपये छत्तीस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

6	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	42 अन्य व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
7	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**1,95,00,000** **(रुपये एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028912 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण)

क्र0 सं0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
2	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	41 भोजन व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
3	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	42 अन्य व्यय	18,71,000 (रुपये अठारह लाख इकहत्तर हजार मात्र)
4	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

5	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
	कुल			**66,71,000** **(रुपये छियासठ लाख इकहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028914 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन)

क्र0 सं0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	049	2235021028914 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	15,69,26,000 (रुपये पंद्रह करोड़ उनहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र)
	कुल			**15,69,26,000** **(रुपये पंद्रह करोड़ उनहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028915 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना)

क्र0 सं0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	049	2235021028915	08 कार्यालय	33,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	व्यय	(रुपये तैंतीस लाख मात्र)
2	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,05,00,000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र)
3	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	24,00,000 (रुपये चौबीस लाख मात्र)
4	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	42 अन्य व्यय	1,53,00,000 (रुपये एक करोड़ तिरपन लाख मात्र)
5	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,50,00,000 (रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**7,65,00,000** **(रुपये सात करोड़ पैंसठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028921 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी)

क्र0 सं0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	049	2235021028921 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**6,50,000** **(रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021028922 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना)

क्र0 सं0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	049	2235021028922 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	6,09,20,000 (रुपये छह करोड़ नौ लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			**6,09,20,000** **(रुपये छह करोड़ नौ लाख बीस हजार मात्र)**
महायोग			56,34,01,000 (रुपये छप्पन करोड़ चौंतीस लाख एक हजार मात्र)	

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-4-366-X-2022-23, दिनांक 5.1.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

सुनील कुमार यादव
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

संख्या-1/2023/001-1145/60-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारीख, उत्तर प्रदेश।
6. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
8. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सुनील कुमार यादव
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।